बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

इंदिरा आवास योजना के विधि सम्मत कार्यान्वयन हेतु शिकायत निवारण व्यवस्था के प्रभावकारी संचालन, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निवारण अनुश्रवण समिति गठित की गई है जिसमें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, गृह विभाग द्वारा पुलिस सेवा से नामित एक प्रतिनिधि, वित्त विभाग द्वारा लेखा सेवा से नामित एक प्रतिनिधि ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित किये गए हैं एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित इंदिरा आवास योजना के प्रभारी पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में नामित किये गए हैं।

समिति आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति के निम्नवत् दायित्व होंगे:–

1. शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा एवं अनुश्रवण।
2. शिकायत प्राप्त करने एवं जाँच की प्रभावकारी व्यवस्था करना।
3. जाँच में पाए जानेवाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इंदिरा आवास योजना से संबंधित कोई भी शिकायत श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को दूरभाष या ईमेल के माध्यम से निम्नवत् विवरण पर की जा सकती है:–

पता:– श्री संजय कृष्ण, विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग, पुराना सचिवालय, पटना–800015
दूरभाष :– 9431818391 ईमेल:– sanjaykrishdye@gmail.com

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

पी.आर.-4273 (ग्रा.वि.) 13-14

काम करने के एवज में सरकारी सेवक वेतन पाते हैं...घूस नहीं कभी नहीं